न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी– नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 134 / 2018

1. ग्यारसा पुत्र नंदाराम
2. कल्याण पुत्र नंदाराम जाति मीना निवासी काली पहाडी उप तहसील सैंथल तहसील व जिला दौसा ...अपी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल ...रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.02.2018
व न्यायालय उप तहसीलदार, सैंथल

उपस्थित : 1.श्री मदन मोहन बैरवा, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक 26.0918

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनाक 26.02.2018 को ग्राम पुरोहितों का बास तहसील दौसा के आ0ख0 257 रकबा 0.56 है0 किस्म चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई । बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूॅठी रिपोर्ट की है। अपीलांट ने किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जॉच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का द्वारा बिना सीमाज्ञान कराये ही रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करदी गई। कानूनन अपीलांट को नोटिस जारी दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रकिया का पालना नहीं करते हुए पीछे से इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपी0 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांट बावजूद नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट में "मकान गेहूॅ बोरिंग व पत्थर " अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट सं0 एक ग्यारसा द्वारा वरवक्त न्यायालय में उपस्थित होकर किसी भी चरागाह भूमि कब्जा नहीं होना एवं चरागाह भूमि से कब्जा हटा लेने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अपीलांट सं0 2 द्वारा कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया गया एवं न ही अपीलांट सं0 2 उपस्थित हुए। इसलिए उक्त शपथ–पत्र पर कोई विचार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतिक्रमी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 सितम्बर, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official